राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4867/2002

1. हुकम सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी गाँव व पोस्ट जोरिया तहसील- कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान (अब मृतक - कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से) –

1/1. जगत सिंह पुत्र हुकम सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट जोडिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान

1/2. प्रदीप सिंह पुत्र हुकम सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट जोडिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान

1/3. मधुबाला पत्नी धोलू राम पुत्री हुकम सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी गाँव तजलका, तहसील तिजारा जिला, राजस्थान

1/4. मनीषा पत्नी सोम दत्त पुत्री हुकम सिंह, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम शेखपुर, तहसील तिजारा जिला अलवर, राजस्थान

2. राजेंद्र सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी गांव व पोस्ट जोरिया तहसील- कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान

----**याचिकाकर्ता**

बनाम

1. राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर।
2. रामफल पुत्र जगमाल, निवासी गाँव बिनोलिया, तहसील- तिजारा, अलवर, राजस्थान।
3. नरेश पुत्र जगमाल (मृतक), विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से।

3/1. निर्मला पत्नी स्वर्गीय श्री नरेश, निवासी ग्राम बिनोलिया, तहसील- तिजारा, अलवर, राजस्थान।

3/2. जयपाल पुत्र स्वर्गीय श्री नरेश, निवासी ग्राम बिनोलिया, तहसील- तिजारा, अलवर, राजस्थान।

4. पप्पू पुत्र श्री जगमाल, निवासी ग्राम बिनोलिया, तहसील- तिजारा, अलवर, राजस्थान।

5. श्रीमती मूर्ति, जगमाल की विधवा (अब दिवंगत), निवासी ग्राम बिनोलिया, तहसील-तिजारा, अलवर, राजस्थान।

6. दिलीप पुत्र दीसी, निवासी ग्राम बिनोलिया, तहसील-तिजारा, अलवर, राजस्थान।

----उत्तरदाता

7. श्रीमती. गिंदोरी पुत्री भोलिया, निवासी ग्राम जोखास, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर, राजस्थान

8. रत्ती राम पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी ग्राम बिनोलिया, तहसील- तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।

9. रामपत पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी ग्राम बिनोलिया, तहसील-तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।

10. प्रभात पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी ग्राम बिनोलिया, तहसील-तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।

11. लक्खी पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी ग्राम बिनोलिया, तहसील-तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।

12. हीरा सिंह पुत्र फुसा, निवासी ग्राम बिनोलिया, तहसील-तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।

13. गजराज सिंह पुत्र ख्याली, निवासी ग्राम बिनोलिया, तहसील-तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।

14. सूबे सिंह पुत्र ख्याली, निवासी ग्राम बिनोलिया, तहसील-तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।

15. राम मेहर पुत्र ख्याली, निवासी ग्राम बिनोलिया, तहसील-तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।

16. पप्पू पुत्र ख्याली, निवासी ग्राम बिनोलिया, तहसील-तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।

17. ईश्वर पुत्र ख्याली, निवासी ग्राम बिनोलिया, तहसील-तिजारा, जिला। अलवर, राजस्थान।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री विनोदीलाल माथुर श्री अमित कुमार धवन
उत्तरदाता (ओं) के लिए	:	श्री पवन पारीक के साथ श्री राघवेन्द्र सिंह खीची

माननीय श्रीमान जस्टिस अवनीश झिंगन

आदेश

आरक्षित तिथि : **08/01/2025**

घोषित तिथि : **16/01/2025**

1. यह याचिका राजस्व बोर्ड (संक्षेप में 'बोर्ड') के दिनांक 12.06.2002 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसमें समीक्षा की अनुमति दी गई थी।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि भोलिया की विधवा श्रीमती राजवान (जिसे आगे वादी कहा जाएगा) ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 88, 89 और 188 के तहत अपने देवरों के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, जिसमें रोडा (उसके ससुर) द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में

हिस्सेदारी का दावा किया गया था। मुकदमे में दलीलों के अनुसार, रोडा के चार बेटे थे, जिनके नाम बंशी, दीप्ति, फूसा और भोलिया थे और प्रत्येक के पास रोडा की कृषि भूमि में एक-चौथाई हिस्सा था। बंशी और फूसा सामूहिक रूप से आधे हिस्से पर खेती करते थे और दीप्ति और भोलिया संयुक्त रूप से आधे हिस्से पर खेती करते थे। भोलिया की मृत्यु के बाद, वादी दीप्ति के साथ सह-स्वामी के रूप में जारी रही। संवत वर्ष 2029 में, बंदोबस्त की कार्यवाही के दौरान, भूमि केवल दीप्ति के नाम पर दर्ज की गई थी। वादी ने 11 मई, 1982 को तिजारा तहसील के सालाहेड़ा गाँव में स्थित खसरा संख्या 295 और 296 के आधे हिस्से के लिए एक वाद दायर किया था। वाद दिनांक 3 मई, 1986 को डिक्रीकृत किया गया और आदेश दिया गया कि अपीलकर्ता के नाम के साथ डेप्टी के नाम से आधा हिस्सा अभिलिखित किया जाए । वाद में प्रतिवादियों द्वारा दायर अपील 9 नवंबर, 1995 को स्वीकार कर ली गई। अपीलीय प्राधिकारी ने माना कि वादी का भूमि पर कभी भी खेती का कब्जा नहीं था। अपील के लंबित रहने के दौरान, वादी ने 9 जनवरी, 1990 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को भूमि बेच दी। याचिकाकर्ताओं और वादी की पुत्री ने अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को चुनौती दी। बोर्ड ने 01.11.2000 को अपील स्वीकार करते हुए कहा कि वादी, भोलिया की विधवा होने के नाते, उनकी संपत्ति की उत्तराधिकारी हो सकती है और बंदोबस्त विभाग सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना प्रविष्टियों में परिवर्तन नहीं

कर सकता। प्रतिवादियों द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को बोर्ड ने 12.06.2002 को स्वीकार कर लिया और दूसरी अपील पर नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया। अतः, वर्तमान याचिका।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि बोर्ड ने समीक्षा स्वीकार करके अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुनाया है और इस मामले की दोबारा सुनवाई नहीं हो सकती। यह तर्क देने के लिए कि समीक्षा का अधिकार क्षेत्र सीमित है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **डी.आर. सोमयाजुलु, सचिव, डीजल लोको शेड एवं दक्षिण पूर्वी रेलवे हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, विशाखापत्तनम एवं अन्य बनाम अत्तिली अप्पाला स्वामी एवं अन्य (2015) 2 एससीसी 390** में दिए गए निर्णय और **डी.बी. सिविल समीक्षा याचिका संख्या 1/99 एवं 2/99, जिसका शीर्षक पेमा राम एवं अन्य बनाम राजेंद्र एवं अन्य** है, में दिए गए इस न्यायालय के 24.01.2002 के निर्णय का हवाला दिया गया है।

4. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बोर्ड के आदेश में त्रुटि थी, जो अभिलेख से स्पष्ट है तथा वादी को दी गई राहत मुकदमे में दी गई दलीलों के विपरीत थी।

5. निर्विवाद तथ्य यह है कि:- (i) रोड़ा के चार पुत्र थे और प्रत्येक का रोड़ा द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में एक-चौथाई हिस्सा था (ii) वादी मृतक भोलिया की विधवा है और भोलिया के हिस्से की उत्तराधिकारी है; और (iii) रोड़ा की मृत्यु के बाद बंशी, फुसा के साथ और दीप्ति, भोलिया के साथ संयुक्त रूप से आधे-आधे हिस्से पर खेती कर रहे थे।

6. बोर्ड ने पुनर्विचार को यह मानते हुए स्वीकार कर लिया कि बंदोबस्त विभाग द्वारा की गई गलती को सुधारते हुए, वादी को स्वीकृत दलीलों से परे हिस्सा नहीं दिया जा सकता। हालाँकि, यह दावा किया गया था कि वादी के अन्य दो भाइयों ने अपने हिस्से छोड़ दिए थे, लेकिन वादी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। इसके अलावा, प्रस्तुत राजस्व अभिलेख में भी त्रुटि थी, खातेदारी गणपत सिंह व अन्य के नाम दर्शाई गई थी और सह-हिस्सेदार बंशी व दीप्ति का नाम फुसा के पुत्रों के रूप में दर्शाया गया था, जबकि वे भाई थे। अभिलेख से यह त्रुटि स्पष्ट थी और बोर्ड ने पुनर्विचार को उचित रूप से स्वीकार कर लिया।

7. निष्कर्ष निकालने से पहले, इस तर्क पर विचार करना उचित होगा कि समीक्षा कार्यवाही में हस्तक्षेप का दायरा सीमित है। उद्धृत निर्णयों में निर्धारित इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है कि समीक्षा क्षेत्राधिकार आदेश XLI नियम 1 सीपीसी की भाषा में निर्धारित सीमाओं से घिरा हुआ है।

8. अधिनियम की धारा 229 बोर्ड और अन्य राजस्व न्यायालयों द्वारा समीक्षा की शक्ति से संबंधित है और यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अधीन है। बोर्ड किसी आवेदन पर स्वप्रेरणा से, अपने या अपने किसी सदस्य द्वारा पारित आदेश की समीक्षा कर सकता है।

9. आदेश XLVII नियम 1 सीपीसी के तहत, पारित डिक्री या आदेश की समीक्षा नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज पर की जा सकती है, जो उचित परिश्रम करने के बावजूद जानकारी में नहीं है या जो डिक्री पारित करने के समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका था या रिकॉर्ड पर स्पष्ट गलती या त्रुटि या किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए।

10. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, वादी को दी गई राहत प्रार्थना से परे थी। स्वीकार किए गए तर्कों में यह कहा गया था कि वादी के मृत पति का रोडा की संपत्ति में एक-चौथाई हिस्सा था, जबकि रोडा को संपत्ति में आधे हिस्से का हकदार माना गया था। प्रस्तुत और जिस राजस्व अभिलेख पर भरोसा किया गया था, उसमें रोडा के दो पुत्रों को उनके भाई फुसा के पुत्र दर्शाने में त्रुटि थी।

11. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप का दायरा सुस्थापित है और हस्तक्षेप का आह्वान करने वाले विवादित आदेश में

कोई कानूनी त्रुटि, यहाँ तक कि विकृति भी नहीं है। रिट याचिका खारिज की जाती है।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित कारण इस याचिका पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

13. सभी लंबित आवेदन खारिज किये जाते हैं।

(अवनीश झिंगन),जे

\

सरल कुमावत /161

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate